न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0829 भू.रा.निग.क्रमांक /PBR/2018

गजराज सिंह आत्मज स्व.श्री गोकल उर्फ गोकलिया
अस्थाई चौकीदार ग्राम गुदावल
तहसील व जिला रायसेन ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. गंगाराम आत्मज श्री गोपाल सिंह आयु 25 वर्ष
निवासी–ग्राम गुदावल तह.व जिला रायसेन।

2. म.प्र.शासन ....उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग–भोपाल के द्वारा प्र.क्र. 68/पुर्नः/2016 (गजराज विरूद्ध गंगाराम) में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 जिसमें उनके न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण क्रमांक 918/अपील/12–13 (गंगाराम विरूद्ध गजराज सिंह व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2016 से दुखी होकर प्रस्तुत रिव्यू/पुर्नविलोकन अर्जी में पारित आदेश से व्यथित एवं दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2018 / 0829

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 17–12–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा प्रकरण का पुनर्विलोकन किये जाने के संबंध में अपने निगरानी मेमों में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विलोकन किया जा सके । अतः अपर आयुक्त द्वारा भी इसी कारण आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	